# न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 254/2022

सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनूं।
––प्रार्थी

बनाम

श्री सुमित मान पुत्र श्री नरेन्द्र मान, जाति जाट, उम्र 23 साल, निवासी वार्ड नं0 10, चिडावा, जिला झुंझुनूं।
––अप्रार्थी

थाना सूरजगढ पर दर्ज अ0स0 62/2011 धारा 3/7 ई0सी0एक्ट मे जप्तशुदा माल वजह सबूत को ई0सी0 एक्ट की धारा 6ए के तहत निस्तारण के संबंध मे।

–––

उपस्थितः–

1. श्री कपिल झाझडिया, जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं ( विभागीय प्रतिनिधि ) –प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री विनोद कुमार गिल, एडवोकेट–अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

**आदेश**

दिनांक 16.11.2022

थानाधिकारी, पुलिस थाना, सूरजगढ से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 01.04.2011 को समय 8.30 एएम पर मन रजनीश पूनियां आरपीएस सीओ चिडावा को जरिये मुखबीर सूचना मिली कि सुमित मान पुत्र नरेन्द्र मान, जाति जाट, निवासी चिडावा जो एक टैंकर नम्बर आरजे 31 जीए 1929 जिस पर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम लिखा हुआ है से हरियाणा राज्य से अवैध डीजल व पेट्रोल भकर चिडावा लाकर बेचता है जो आज भी उक्त टैंकर मे हरियाणाा राज्य से अवैध डीजल व पेट्रोल भरकर चिडावा की तरफ ला रहा है। उक्त सूचना शिवसनीय होने पर इतला की तस्दीक की जाना आवश्यक है। इतला की तस्दीक हेतु मन रजनीश पूनिया आरपीएस सीओ चिडावा मय कानि0 प्रताप कुमार 815 जीप सरकारी चालक अमीत कुमार व गनमैन प्रमेन्द्र कुमार कानि0 784 के कार्यालय से रवाना होकर वक्त 8.50 एएम पर सूरजगढ बाई पास घरडू चौराहा पर पहुंचा व एसएचओ सूरजगढ को मय जाप्ता के घरडू चौराहा पर उपस्थित आने के निर्देश दिये गये। वक्त 9.05 एम पर एसएचओ सूरजगढ श्री विरेन्द्र पाल सिंह एसआई मय श्री महिपाल सिंह तथा सतवीर सिंह कानि 671 जीप सरकारी चालक के उपस्थित घरडू चौराहा आये। मन सीओ मय एसएचओ सूरजगढ मय जाप्ता के मुताबिक इतला के टैंकर की नाकाबन्दी शुरू की गई। नाकाबन्दी वक्त 9.20 एएम पर सूरजगढ बाई पास रोड से सूरजगढ कस्बा की तरफ ... रंग सफेद जिसके नम्बर आरजे 31 जीए 1929 आया जिसको मन सीओ मय जाप्ता रोकने का इशारा किया तो टैंकर को उसका चालक पुलिस जाप्ता को देखकर ... जाने का प्रयास किया जिसको हमराह जाप्ता की मदद से उक्त टैंकर को बमुश्किल रोका जाकर चालक को नाम पता पूछा तो चालक ने अपना नाम सुमित मान पुत्र नरेन्द्र मान, जाति जाट, उम्र 23 साल, निवासी वार्ड नम्बर 10 चिडावा का

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.23 16:14:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

होना बताया। जिसको टैंकर मे भरा पदार्थ बाबत पछा तो सकपकाते हुए डीजल व पेट्रोल भरा होना बताया। जिस पर टैंकर के कुल 3 कम्पार्टो मे भरा तरल पदार्थ मिला। टैंकर के तीनों कम्पाटो को एक–एक करके खोलकर चैक किया तो कम्पार्ट 1 मे भरा तरल पदार्थ को चैक किया तो डीजल भरा होना पाया गया। इसी तरह कम्पार्ट 2 को खोलकर उसमे भरा तरल पदार्थ को चैक किया तो उसमे डीजल भरा होना पाया गया। इसी तरह कम्पार्ट 3 को खोलकर उसमे भरा तरल पदार्थ को चैक किया गया तो पेट्रोल भरा होना पाया गया। टैंकर के आगे नम्बर प्लेट पर आरजे 31 जीए 1929 नम्बर लिखे हुए है। रंग सफेद है। टैंकर पर दोनो तरफ एचपी हिन्दुस्तान पेट्रोलियम लिखा हुआ है एवं दोनों तरफ टैंकर पर कम्पार्ट–1 4000 लीटर, कम्पार्ट–2 4000 लीटर, कम्पार्ट–3 4000 लीटर लिखा हुआ है। टैंकर के पीछे की तरफ टैंक पर कैपेसिटी 12000 लीटर लिखा हुआ है। टैंकर के ईंजन पर नम्बर डीपीएच 443669 व चेचिस नम्बर डीपीआर 152210 लिखे हुए है। चालक सुमित मान को अपने पास इतनी भारी मात्रा मे डीजल व पेट्रोल रखने व परिवहन करने बाबत कोई अधिकार पत्र व लाइसेन्स पूछा तो अपने पास कोई अधिकार पत्र लाइसेन्स होना नही बताया। टैंकर मे भरा हुआ डीजल व पेट्रोल की मात्रा बाबत चालक सुमित से पूछा तो कम्पार्ट–1 व कम्पार्ट–2 मे 4000–4000 डीजल भरा होना व कम्पार्ट–3 मे 2900 लीटर पेट्रोल होना बताया। टैंकर मे तेल नापने का एक नाप ( गेज ) मिला जो चालक सुमित ने इसी टैंकर का तेल नापने का नाप होना बताया। जिसको चैक किया तो उक्त गेज तांबा जैसी वस्तु का बना हुआ है जो चौकोर है जिस पर मध्य मे आरजे 31 जीए 1929 CAP 12000 लीटर लिखा हुआ है। एक सिरे पर तीन साईड मे 4000 लिखा हुआ है। जिससे टैंकर मे तेल की मात्रा नापी गई तो कम्पार्ट–1 मे 4000 लीटर डीजल व कम्पार्ट–2 मे 4000 लीटर डीजल व कम्पार्ट–3 मे 2900 लीटर पेट्रोल भरा होना पाया गया। चालक सुमित मान से डीजल व पेट्रोल कहां से कहां ले जाने बाबत पूछा तो स्वयं द्वारा सस्ते भाव पर हरियाणा राज्य से लाना व राजस्थान मे उंचे भाव मे बेचकर मुनाफा कमाना बताया। इस प्रकार आरोपी सुमित मान पुत्र नरेन्द्र मान, जाति जाट, उम्र 23 साल, निवासी वार्ड नं0 10 चिडावा का यह कृत्य जुर्म धारा 3/7 ईसी एक्ट की खिलाफ वर्जी मे पाया जाने पर टैंकर मे कम्पार्ट–1 व कम्पार्ट–2, कम्पार्ट–3 मे भरा डीजल व पेट्रोल बतौर सैम्पल पृथक–पृथक लिया जाकर मौके पर शील्ड मोहर कर मार्क क्रमशः ए–1, ए–2, ए–3 अंकित किये गये। इसी तरफ कम्पार्ट–1, कम्पार्ट–2, कम्पार्ट–3 को शील्ड मोहर कर मार्क क्रमशः बी–1, बी–2, बी–3 अंकित किया गया। उक्त टैंकर मय डीजल व पेट्रोल व नाप ( गेज ) को वजह सबूत कब्जा पुलिस मे लिया गया। आरोपी सुमित मान पुत्र नरेन्द्र मान, जाति जाट, उम्र 23 साल, निवासी वार्ड नं0 10, चिडावा को जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया गया। फर्दात पर नमूना शील अंकित की गई। फर्द हाजा हस्ब कायदा मूर्तिब की जाकर मुलाजिमान को पढ़कर सुनाई गई। सुन समझ सही होना मान अपने हस्ताक्षर किये। अभियोग सं0 62/2011 धारा [illegible] एक्ट मे गाडी नं0 आरजे 18 जीए 1929 जिसमे 8000 लीटर डीजल व 29[illegible] उक्त जप्त वाहन जिसमे पेट्रोल डीजल भरा हुआ है। थाना परिसर मे खुले मे [illegible] हुआ है। थाना हाजा मे उपलब्ध जगह सीमित है। तथा इतनी भारी मात्रा मे [illegible] व डीजल रखा होने से दुर्घटना वश हादसे की आशंका भी बनी रहती है। जिससे मान–माल का खतरा हो सकता है। प्रकरण न्यायालय सी0जे0एम0 कोर्ट झुंझुनूं मे विचाराधीन चल रहा है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रकरण हाजा मे

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.23 16:14:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

जप्त पेट्रोल व डीजल ( अति ज्वलनशील पदार्थ ) का निस्तारण हेतु संबंधित विभाग को आदेशित फरमाने की कृपा करे।

बहस सुनी गई। विभागीय प्रतिनिधि ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये कथन किया कि अप्रार्थी से 8000 लीटर डीजल व 2900 लीटर पेट्रोल मय एक नाप ( गेज ) के जप्त किया गया है। अप्रार्थी के पास कोई लाईसेन्स डीजल व पेट्रोल के विक्रय बाबत नही था। उक्त डीजल व पेट्रोल के थाना रखरखाव की उचित व्यवस्था नही है। डीजल व पेट्रोल अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ है जिसके कारण हादसा होने की संभावना बनी रहती है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम मे स्वीकार कर जप्तशुदा 8000 लीटर डीजल व 2900 लीटर पेट्रोल मय एक नाप ( गेज ) के निस्तारण के आदेश फरमाने की कृपा करे।

वकील अप्रार्थी ने विभागीय प्रतिनिधि के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी का खुद का पेट्रोल पम्प है। अप्रार्थी के पास डीजल व पेट्रोल विक्रय का लाइसेन्स है। अप्रार्थी जरिये बिल से जप्तशुदा डीजल व पेट्रोल खरीद कर लाया था। अप्रार्थी डीजल व पेट्रोल बेचने हेतु अधिकृत है। अतः अप्रार्थी के खिलाफ कार्यवाही निरस्त फरमाई जावे एवं प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी ने अपने जबाब मे कथन किया है कि प्रकरण मे न्यायालय अपनी आवश्यक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है। अतः प्रकरण मे डीजल व पेट्रोल में छीजत नहीं हो तथा खुर्द बुर्द से बचाने के लिये व आगजनी से बचने के लिए इस डीजल व पेट्रोल का निस्तारण किया जाना उचित है। उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर हम जप्त किये गये 8000 लीटर डीजल व 2900 लीटर पेट्रोल मय एक नाप ( गेज ) को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए ( 2 ) के तहत अधिहरण किया जाना न्यायोचित समझते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी झुंझुनू को निर्देशित किया जाता है कि वह जप्तशुदा 8000 लीटर डीजल व 2900 लीटर पेट्रोल मय एक नाप ( गेज ) का आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के क्लॉज 2 के बिन्दु 1 के तहत राजसात कर खुली निलामी मे विक्रय कर राशि को राजकोष में जमा करें। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं एवं जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनूं को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 16.11.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.23 16:14:17 IST
Reason: SelfAttested

( लक्ष्मण सिह कुडी )
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं